

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन (2)

दिनांक - 18.11.2013

फॉर्म नं. 213

प्रेषित:- लोक सूचना अधिकारी श्रीमान् सचिव महोदय, केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली भारत-110001

आवेदक का पूरा नाम व पता - प्रदीप कुमार सोनी महासचिव रोजगार, युवा-समिति गंगापूर सिटी FCI गोदाम रोड सैनिक नगर गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज.) 322207 फोन नं. 9001981313

चाही गयी सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है -

22 NOV 2013

1. विधिक सहायता समिति के पैनल में कितने वकील है। पैनल के सभी वकीलों के नाम व पता कोईल नम्बर बतायें।
2. विधिक सहायता समिति में कितने सदस्य है। सभी सदस्यों के नाग क्या है। कमबद्ध सूचना दें।
3. विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है? एवं अन्य क्या पद है।
4. विधिक सहायता समिति, पुलिस, S.D.M., M.L.A. के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के लिए इनके खिलाफ गरीब इन्सान को पैनल से आप वकील दे सकते है अथवा नहीं।
5. विधिक सहायता समिति, राजस्थान सरकार के ऊपर केश करने के लिए पैनल से वकील देती है अथवा नहीं।
6. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.-C.I.D. क्राइम ब्रांच जॉच कराने के लिए पैनल से वकील दे सकती है अथवा नहीं। गरीब इन्सान को।
7. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.I. जॉच करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकते है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
8. विधिक सहायता समिति, पुलिस के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के लिए A.C.B. कोर्ट में केश दर्ज करवाने के लिए / A.C.B. थाने में F.I.R दर्ज करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
9. आपके कार्यालय के प्रमुख या इन्चार्ज / सर्विस कर्ता का दर्शन लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है।
10. विधिक सहायता समिति को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कितने दिन / कितने घंटे बाद पैनल से वकील देती है।
11. विधिक सहायता समिति में समाज सेवक / सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य बनना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए।
12. विधिक सहायता समिति ने अब तक यानि आज दिनांक तक पुलिस वालों सरकार के खिलाफ पैनल से कितने वकील दिया है। सूचना दें।
13. विधिक सहायता समिति को प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये है।
14. विधिक सहायता समिति की मिटिंग में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सूचना दें।
15. किसी गरीब इन्सान के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उस गरीब प्रार्थी ने नेशनल हुमन् राइट कमिशन में शिकायत की हो और कमिशन से उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो क्या आप पैनल से उस प्रार्थी को वकील देंगे। सूचना दे सम्पूर्ण रूप से।
16. आपके कार्यालय के सचिव महोदय ने कितनी संस्थाओं को मिलने के लिए समय दिया है। कम बार सूचना दे। एवं संस्थाओं के नाम व पता बताएं।
17. आपने जेल में बन्द मुलजिनों की किस-2 प्रकार की एवं कितनों को सहायता की है। बन्दुबार सूचना दें।
18. गंगापूर सिटी प्रशासन हमारे कार्यालय / कॉलोनी में गदा पानी छोड रहे हैं। हमें एवं कॉलोनी वसियों को डेंगू, चिकिनगुनिया के मरीज बनाने के लिए जिसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी थी, पर आज दिनांक तक कोई समाधान नही हुआ तो हमें क्या करना चाहिए।
19. आपने किस किस संस्थाओं को विशेष अधिकार दे रखे है नाम व पते के साथ अधिकारों का विवरण बताएं।
20. संस्था C.B.I. की मदद करना चाहती हों तो संस्था को क्या करना चाहिए।
21. गंगापूर सिटी में A.C.B. थाना खुलवाना है तो संस्था को क्या क्या करना चाहिए।
22. गंगापूर सिटी को जिला बनवाना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
23. गंगापूर सिटी के पानी में फ्लोराईड बहुत अधिक है, तो संस्था को क्या करना चाहिए।
24. संस्था किसी अधिकारी के द्वारा आय से अहित संपत्ति की जाँच करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

25. संस्था विक्रो जज के द्वारा आद से अधिक संपत्ति की जाँच करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।
26. नॉटरी पब्लिक की किस कार्य के लिए शिकायत की जा सकती है; आम सूचना दें।
27. नॉटरी पब्लिक के द्वारा जयदास पैसे लेने की वहाँ कहीं शिकायत की जा सकती है।
28. शपथ आयुक्त अगर पैसा उड़ावा ले तो शिकायत कहीं कहीं कर सकते हैं। सूचना दें।
29. कोर्ट परिसर में कम्प्यूटर ऑपरेटर की दुकान अगर किसी को खोलनी है तो कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
30. मैं प्रदीप कुमार सोनी सामाजिक कार्यकर्ता मोकल कमिश्नर बनना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
31. वकील अगर गलत कार्य करता है तो वकील को शिकायत कहीं कहीं की जाती है।
32. P.P./A.P.P सरकारी वकीलों के द्वारा अगर गलत कार्य किये जा रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में मैं खूब है तो शिकायत कहीं-कहीं करनी चाहिए।
33. किसी आम गरीब इन्सान के उपर अगर झूठा आरोप लगाकर आई.पी.सी. 376 लगा दी जाये तो मुलजिन डाक्टर को जाँच कहीं-कहीं करा सकते है। इसका तरीका क्या है। सूचना प्रदान करें।
34. किसी गरीब इन्सान के उपर I.P.C. 376 लागी हो और वो इन्सान निर्दोष हो और पुलिस पर भरोसा नही हो तो वो इन्सान किस किस एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। एवं जाँच करवाने का तरीका किस किस प्रकार है। सूचना प्रदान करें क्रम वार।
35. किसी निर्दोष इन्सान के उपर I.P.C. 379 लागी हो और उस गरीब इन्सान को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नही हो तो वो इन्सान किस-किस जाँच एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। विन्दुवार सूचना प्रदान करें। एवं जाँच करवाने का तरीका किस प्रकार है।
36. किसी इन्सान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलाजिम बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दें एवं उस गरीब इन्सान ने चालान कोर्ट में पेश होने से पहले ही महानगिन राष्ट्रपति महादय मंगलत हुमन राईट कमिशन, लोकायुक्त नरोदय जी से क्राईम ब्रान्च जाँच की माँग की थी फिर भी क्राईम ब्रान्च जाँच नही हुई, भ्रष्टाचार पुलिस वालों को पैसे नही देने के कारण कोर्ट में चालान पेश कर दिया। तो प्रार्थी को क्या करवाना चाहिए।
37. क्या गरीब इन्सान को क्राईम ब्रान्च जाँच करवाने का अधिकार नहीं? सम्पूर्ण सूचना दें।
38. न्यायाधीश A.D.J. द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये को संपत्ति एकटित की जा रही है। इन्को जाँच कौन करेगा।
39. न्यायाधीशों A.D.J. के द्वारा साठ-पैंतेड करके महा भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी जाँच कौन करेगा।
40. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हुमन राईट कमिशन के अध्यक्षों के द्वारा अरबों/करोड़ों रुपये रिश्वत लेकर कमाये जा रहे हैं इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं।
41. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हुमन राईट कमिशन के सदस्यगण व कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमाये जा रहे हैं। इसकी जाँच आपने अब तक करवाई की या नहीं। एवं इसकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है। सम्पूर्ण सूचना दें।
42. राजस्थान के लोकायुक्त सचिवालय में सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनके खिलाफ आपने अब तक जाँच के आदेश दिये या नहीं दिये। एवं इनकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है विन्दुवार सूचना प्रदान करें।
43. एस.डी.एम. कार्यालय गंगापु सिटी में सभी कर्मचारी भ्रष्ट है जिनमें एस.डी.एम. भी शामिल है इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं एवं इनके खिलाफ कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है। सूचना प्रदान करें।
44. तहसीलदार जी एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी गंगापु सिटी के भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनकी जाँच कौन करेगा।
45. गंगापु सिटी पुलिस मुझे डराती है, एवं धमकी देती है कि तुम समाज सेवा करना बंद कर दो। जिससे मुझे काफी परेशानी होती है, इनकी शिकायत मैं कहीं कहीं करूँ।
46. सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने के लिए आप पैनल से वकील देते हैं अथवा नहीं।
47. आपके कार्यालय के सबसे बड़े पद पर विराजित को संस्था मूलना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा विवरण दें।

48. गणपुर सिटी कोर्ट परिसर के सभी कर्मचारी अप्रत्याचार में झूठे हुए है तो संस्था को इनकी शिकायत कहीं करनी चाहिए।
49. राजस्थान सरकार युवाओं का शोषण कर रही है तो संस्था की आप किस प्रकार मदद कर सकते है जनहित परिवार में।
50. कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सुरक्षा प्रदान की है।
51. सामाजिक कार्यकर्ता की आप किस किस प्रकार मदद करते है क्रम वार सूचना दें।
52. आपके कार्यालय से आपके कर्मचारी सरकारी सामान की चोरी करके अपने परिवार वालों को ले जाते है जैसे कागज, रबर, पेन्सिल, पेन, अन्य आपने अपने कर्मचारियों के घर का निरीक्षण किया है कि वो किस सामान की चोरी करते है।
53. विधिक सहायता समिति जिला न्यायालय साकेत कोर्ट नई दिल्ली में कर्मचारियों के द्वारा बहुत गन्दव्यवहार किया जाता है गरीब को परेशान करते है तो इसकी जांच कोन करेगा।
54. किस किस केश में D.N.A. जांच कराई जा सकती है। एवं जांच करवाने का तरीका क्या है। पूर्ण बिन्दुवार सूचना दें।
55. D.N.A. जांच करवाने के लिए कहीं - कहीं आवेदन किया जा सकता है जो निःशुल्क में होती है।
56. किसी इंसान की पत्नी बिना तलाक दिये दूसरी शादी करले व पहले पति को तलाक दिये बिना दूसरे पति से बच्चे भी पैदा कर ले तो पहले पति को क्या करना चाहिए। या किसकी शरण में जाना चाहिए। सूचना बिन्दुवार प्रदान करें।
57. किसी इंसान की पत्नी पहले पति के सारे जेवरों को लेकर दूसरे पति (इंसान) से शादी करले दूसरा पति बहुत बड़ा गुण्डा हो जो कोई सबूत ना देता हो पर बच्चे पैदा जरूर करता है तो पहले पति को क्या करना चाहिए। बिन्दुवार सूचना दें।
58. आपके वहाँ पर कितनी समितियाँ है व क्या कार्य करती है उनके नाम किस प्रकार है सूचना दें।
59. आपके वहाँ पर कोई संस्था जनहित, परिवाद किसी ओर के लिए परिवाद दे सकती है अथवा नहीं सूचना दें।
60. आपके वहाँ कोई हैल्पलाईन नं० है या नहीं यदि है तो नं० बताईये।
61. आज दिनांक तक कितनी F.I.R. दर्ज करवाने के आदेश आपने दिये है परिवाद प्राप्त होने पर
62. आज दिनांक तक आपने कितने परिवारों पर C.B.-C.I.D. जांच के आदेश दिये है। या दिलवाये है
63. आज दिनांक तक आपने कितने परिवारों पर C.B.I. जांच के आदेश दिये है या दिलवाये है।
64. आज दिनांक तक आपने कितने अधिकारियों को सजा दी। या दिलवायी है उनका पद नाम एवं पता बतायें।
65. आज दिनांक तक आपने बड़े से बड़े मंत्री/अधिकारियों को सजा दी है या दिलवायी है उनका पदनाम एवं पता बताईये।
66. आपके कार्यालय का प्रतिमाह कितना खर्चा होता है उन खर्चों का भुगतान देता है या देश की गरीब जनता देती है। सम्पूर्ण रूप से विवरण दें।
67. SHO, पुलिस DPT पुलिस, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी को नाजायज परेशान करना, अत्याचार करना, गुण्डागर्दी करना, रिश्वत लेना, इन लोगों में से अगर एक दोष इन अधिकारियों में हो और उनका सबूत हो तो इन अधिकारियों के उपर F.I.R. दर्ज करवाने का सही तरीका कोनसा है।
68. क्या इन अधिकारियों के उपर न्यायालय ACJM कोर्ट में इस्तगारा पेश कर FIR दर्ज करवाने का अधिकार मौजूद है अथवा नहीं सूचना प्रदान करें।
69. समिति ACB का स्पेशल कोर्ट जिला सवाई माधोपुर में खुलवाना चाहती है तो समिति को क्या करना चाहिए सूचना प्रदान करें।
70. केन्द्रिय आयोग, कुल कितने है इनके नाम क्या क्या है व कार्य क्या है।
71. केन्द्रिय आयोगों के सभी के पते किस प्रकार है, एवं दूरभाष सहित सूचना दें।
72. राजस्थान में कुल आयोग कितने हैं इनके नाम किस प्रकार है।
73. राजस्थान में कुल आयोगों के सभी सही सही पते किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
74. आपसे, आपके कार्यालय से एक आन आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मदद सहायता ले सकता है। पूर्ण रूप से सूचना प्रदान करें।
75. किसी आदिवासी गरीब, दलित मजदूर को अगर कोई 500/- रुपये का नोट नकली दे देता है और वो गरीब इंसान बैंक में जमा करवाने जाता है बैंक उस 500/- रुपये के नोट की सूचना पुलिस को देती है उस गरीब इंसान के साथ क्या होगा, क्या पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, या उस गरीब को प्रताड़ित करेगी, क्या होगा उस गरीब इंसान के साथ, पूर्ण रूप से सूचना दें।

76. भारत देश में एवं राजस्थान में नकली नोटों को पकड़ने के लिए कितनी ऐजेन्सी/थाने/पुलिस लगा रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ नकली नोटों के काले धब्बे पर छापा डालते हैं। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
77. सरकार/पुलिस/C.B.I./खुफिया ऐजेन्सियों/C.I.D./ प्राइवेट ऐजेन्सी होने के बावजूद देश में राजस्थान प्रदेश में नकली नोट कैसे आते हैं क्या सरकार गोपनीय लाईसेन्स जारी करती है या सरकार इस पैसे में हिस्सेदार है सम्पूर्ण सूचना दें।
78. गंगापुर सिटी पुलिस रूपये लेकर नम्बर 2 के सारे कार्य करवा रही है। जैसे हथियार बेचना, बनाना, नादक पदार्थ बेचना, चोरी करवाना इन सभी सूचनाओं का I.B. के कर्मचारी उपर भेजा रहें है इन सब के बावजूद गंगापुर पुलिस को ऐसे कृत्य करने के लिए परमिशन/लाईसेन्स दे रखा है तो आप उस लाईसेन्स परमिशन की एक प्रमाणित कॉपी एक सेट में दें। सम्पूर्ण सूचना दें।
79. गंगापुर सिटी पुलिस थाने में कई वर्षों से गुम हुए आदिमियों एवं सामान की शिकायत तो दर्ज करती है पर तलाश नहीं करती है आखिर क्यों क्या तलाश नहीं करने का कानून है। सूचना प्रदान करें।
80. गंगापुर सिटी में जो भी अधिकारी नोकरी करके यहाँ से गया है जैसे उष पुलिस अधीक्षक, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार थाना S.H.O/C.I. जो कम से कम एक वर्ष तक यहाँ रहा हो वो गंगापुर सिटी में से नम्बर 2 की कमाई एक करोड़ रूपये से भी अधिक लेकर जाता है इस कारण वो गंगापुर सिटी में दोबारा आने के लिए काफी जतन करता है। गंगापुर सिटी में से अधिकारी नोकरी करके जाते हैं उनकी संपत्ति रूपये हैसियत की जाँच आज दिनांक तक कितनी बार करवाई है, पूर्ण सूचना प्रदान करें।
81. आपके कार्यालय के द्वारा हेल्पलाईन नम्बर चला रखे हैं वो किस प्रकार है तथा आपके यहाँ से टोल फ्री नम्बर भी हेल्पलाईन में चला रखे हैं तो बताएँ।
82. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में गंगापुर सिटी के ही लोकल कर्मचारी लगा रखे हैं जो साठ गाठ करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार करवाते हैं, सरकारी कार्यालय जैसे न्यायालय A.D.J. कोर्ट A.C.J.M. कोर्ट, M.M. कोर्ट, न्यायालय उपजिला कलेक्टर, न्यायालय तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक वृत्त गंगापुरसिटी सूचना प्रदान करें कि संचिधान की किस धारा अनुच्छेद में सरकारी कार्यालयों में लोकल कर्मचारी लगाने की परमिशन देता है।
83. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में कई वर्षों से भी अधिक समय से ये कर्मचारी लगे हुए हैं जो रहने वाले गंगापुर सिटी के हैं जो भ्रष्टाचार करवाने में अहन भूमिका निभा रहे हैं इन कर्मचारियों को कद हटाया जावेगा। सम्पूर्ण सूचना दें।
84. विधिक सहायता समिति से यदि कोई गरीब इंसान दकील लेकर न्यायालय में निगरानी इस्ताफासा, जनहित याचिका, परिवाद कानूनी तरीके से बनवाना चाहता है। कानूनी तरीके से या खुद पहरवी करना चाहता है तो क्या विधिक सहायता समिति न्यायालय में कागज पेश करने के लिए मार्ग दर्शक के तौर पर दकील उपलब्ध करवा सकती है। अथवा नहीं पूर्ण सूचना प्रदान करें।
85. राजस्थान में मंत्रालयों, विभागों आयोगों, न्यायपालिका में उच्च लेवल के सबसे बड़े अधिकारी जो सतर्कता C.I.D.-A.C.B. के सभी एवं अलग अलग सतर्कता के अधिकारियों के सभी नाम किस प्रकार है उनके मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी फ़ैक्स नम्बर पता सभी सूचनाएँ कम तार उपलब्ध कराएँ।
86. न्यायपालिका में कोई सतर्कता अधिकारी, विभाग होता है तो उच्च अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर पता इत्यादि कि सूचना दें।
87. राजस्थान में सन् 2000 से आज दिनांक तक पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों, एवं अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर कुल प्रति वर्ष एफआईआर दर्ज हुई है प्रतिवर्ष के हिसाब से सूचना प्रदान करें।
88. राजस्थान में आजादी के बाद से आज दिनांक तक प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को सजा मिल चुकी है सूचना प्रदान करें।
89. भारतीय न्यायाल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भारत द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है रिट संख्या सन् वो आदेश की कॉपी चाहिए या जो भी उपलब्ध हो सहोदय।
90. आपके कार्यालय एवं आपके पद का बज्रूद आम जनता की बदौलत है या आपके कार्यालय व आपके पद के कारण आम जनता का बज्रूद है। सूचना प्रदान करें।
91. राजस्थान में राजाओं, दरबार साहबों, राज परिवारों के नाम, पते नम्बर सहित सूचना प्रदान करें।
92. आपके कार्यालय के कारण कितने गरीब इंसानों को जिन्दगी मिली है, नई जिन्दगी जीने का मौका मिला है कुछ गरीबों पर मेहरनानी की है कितनों की सहायता की है कितनों को न्याय दिलाया है। सूचना प्रदान करें।
93. आपके कार्यालय में आज दिनांक तक कितने आम आदिमियों के प्राथमिक भ्रष्टाचार हुए है। निरन्तर ...5 पर.

(5)

67

94. सरकारी नोकरी के पेंपर लीक होना, पेंपर आउट होना, नोकरी में फर्जी वाडा इत्यादि को रोकने के लिए आज दिनांक तक कितने अभियान आपके कार्यालय द्वारा चलाये गये एवं मुलाजिमों को इस अपराध में आपने आज दिनांक तक कितनों को पकड़ा व सजा दिलवाई है।
95. संस्था "समिति" के पास कोई अपराधी आयें जो पूर्व में कई बड़े अपराध कर चुका हो अज्ञानता के कारण पर संस्था को शपथ पत्र पेश करके कहें कि भविष्य में दुबारा अपराध नहीं करूंगा और संस्था के द्वारा जो सस्ता दिखाया जावेगा सच्चाई का उस पर हमेशा चखूंगा और दूसरों की सदैव मदद करूंगा। व संस्था को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो क्या संस्था को उस अपराधी को सुधारने व नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का अधिकार है कि नहीं संस्था उस अपराधी को समाज सेवा के प्रति अग्रसर कर सकती है अथवा नहीं। सन्पूर्ण सूचना देवे।
96. समिति ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 ए-वी के तहत उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र पेश किया परमिशन लेने के वास्ते। पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने पत्र क्रमांक 3258 दिनांक 25.10.2013 को पत्र भेजा जिसमें जिक्र किया कि रेली के साथ ज्ञापन देने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समिति को उपजिला कलेक्टर मौलिक अधिकारों के तहत परमिशन देने में आनाकानी करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिश्तत नहीं देने के कारण तो समिति को क्या करना चाहिए। कम वार सूचना प्रदान करें।
97. किसी गरीब इंसान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलाजिम बनाकर न्यायालय कोर्ट में चालान पेश कर दे पर वो गरीब इंसान बिलकुल निर्दोष हो पुलिस को रुपये नहीं देने के कारण उस गरीब इंसान अपने केश की दोबारा जाँच करवाना चाहता है सच्चाई के साथ C.B.-C.I.D. काईम ब्रान्च से तो उस गरीब इंसान को क्या करना चाहिए पूर्ण सूचना प्रदान करें।
98. जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना किस के लिए की गयी है एवं जिला रोजगार कार्यालय किस किस प्रकार के कार्य करता है पूर्ण सूचना प्रदान करें।
99. संस्था "समिति" अगर किसी इनामी डकैत का समर्पण करवाना चाहती है तो संस्था को किस प्रकार की सुविधा सरकार व प्रशासन की ओर से दी जाती है एवं डकैत से समर्पण करवाने का सही पूर्ण तरीका किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
100. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों के पद नाम बताएं व सभी के मोबाईल नम्बर बताएं एवं कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
101. राजस्थान प्रदेश में कितने इनामी डकैत हैं, जो आज दिनांक तक सरकार के पकड़ में नहीं आये हैं उनके नाम पते बतायें।
102. थाना गंगापुर सिटी में C.L.G. सदस्य अधिकतर अपराधी हैं एवं राजनिस्त्रि है इसकी जाँच कब होगी।
103. संस्था गरीब परिवारों का नाम B.P.L. सूची में दर्ज करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।
104. किसी थाने का S.H.O./C.I. ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया हो और उस दिन व दो चार दिन तक न्यायालय कि छुट्टी हो तो वह महिला किस की परमिशन से डाक्टर मुआयना/डाक्टर की जाँच करवा सकती है। सूचना प्रदान करें।
105. गंगापुर सिटी की जनता को चम्बल परियोजना का पानी कब पीने को मिलेगा जो सन् 2004 से प्रस्तावित है। और धीरे-धीरे कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। सूचना देवें।
106. सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली कई वर्षों तक ध्यान नहीं दे या शिकायतों पर अन्तिम फैसला नहीं करें तो सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक को क्या करना चाहिए।
107. सरकार व न्यायपालिका अगर गंगापुर सिटी के सभी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं तो गरीब जनता से टेक्स क्यों लेते हैं। सूचना देवें।

भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10/-रुपये का नम्बर 26F 217047 पेश है।

स्थान - गंगापुर सिटी
दिनांक - 18.11.2013


प्रदीप कुमार सोनी
मुख्य सचिव

रोजगार युवा समिति
सैनिक नगर, महेंद्र समीप कोपीटे
एफ.सी.आ.स. गान्धिम रोड
गंगापुर सिटी सं.मा. (राज.)

भारत सरकार
गृह मन्त्रालय
नक्सल प्रबंधन विभाग
(नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 14.01.2014

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार सोनी,
महासचिव, रोजगार युवा समिति,
एफ0सी0आई0 गोदाम रोड, सैनिक नगर,
गंगापुर सीटी, जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र संख्या 43020/213/आरटीआई-सीएसआर.III दिनांक 31.12.2013 है जिसके माध्यम से आपका दिनांक 18.11.2013 का उपरोक्त आवेदन इस स्कंध को दिनांक 02.01.2014 को श्रीमती प्रवीण कुमारी सिंह, निदेशक (एसआर) एवं केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है।

2. आपके आवेदन के बिन्दु 9 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी से मिलने के लिए मिलने का प्रयोजन / उद्देश्य बताकर दूरभाष संख्या 011 2309 4019 पर संपर्क करके मिलने का समय ले सकते हैं।

3. बिन्दु 100 के संदर्भ में यह सूचित जाता है कि हमारे कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के अलावा कुल 04 कर्मचारी हैं जिनका विवरण निम्नांकित है-

क्र0 संख्या	नाम	पद	दूरभाष संख्या
1.	श्री जे0 पी0 सिंह	अवर सचिव	011 2309 2664
2.	श्री राम नरेश	अनुभाग अधिकारी	011 2309 3684
3.	श्री राकेश कुमार	सहायक	011 2309 3684
4.	श्री रामेश्वर दयाल	चपरासी	011 2309 3684

4. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)

निदेशक (न0वि0अ0-1) एवं कें0लो0सू0अ0

टेली.फैक्स: 2309 2670

PR.No.09/ANo.31/14
07.12.10/14